प्रेषक ,

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
सप्तम मण्डल गोरखपुर

सेवा में,

प्रबन्धक,
एन0 एस0 चिल्ड्रेन एकेडमी जूनियर हाईस्कूल
न्यू कालोनी माधोपुर गोरखपुर

पत्रांक : शिविर./मान्यता/ /2004–05 दिनांक :

विषय : पू0 मा0 वि0 स्तर कक्षा 06 से 08 तक की स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ,से प्राप्त आवेदन पत्र, निरीक्षण आख्या एवं अन्य आवश्यक पत्रजातों पर शासनादेश सं0 –646/ 15–6–97–18 एस (7)/89 दिनांक 13अगस्त 1997 में उल्लिखित प्रावधानों /शर्तों के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी , की संस्तुति एवं मण्डलीय मान्यता समिति के निर्णय / संस्तुति पर निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ आपके विद्यालय को बालक विद्यालय के रुप में (पू0 मा0 वि0) जू0 हा0 स्तर तक कक्षा 6 से 8 तक की स्थायी मान्यता उक्त आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है।

विद्यालय में कुल तीन वर्ग ही मान्य होंगे । अतिरिक्त उपवर्गो को संचालित करने हेतु नियमानुसार अनुमति विभाग से प्राप्त करनी होगी ।

विद्यालय मे प्रधानाध्यापक सहित कुल पांच प्रशिक्षित एवं निर्धारित शैक्षिक अर्हता प्राप्त शिक्षक /शिक्षिका , एक लिपिक अर्ह शैक्षिक /प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त एवं एक अनुचर अर्ह शैक्षिक योग्यता प्राप्त जिनका अनुमोदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया गया हो , मान्य होगें ।
चार शिक्षक/शिक्षिकाओं में एक भाषा एवं एक विज्ञान शिक्षक/शिक्षिका की नियुक्ति करना अनिवार्य है।

विभागीय आदेशों /निर्देशों की अवहेलना करने एवं तथ्यों को छिपाकर प्राप्त की गयी मान्यता को वापस लेने का अधिकार विभाग के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।

प्रतिबन्ध :–

(1) विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा (प्राइमरी) स्तर की कदापि न दी जाये और न ही किसी प्रकार की अवैधानिक कक्षाएं ही संचालित की जायें ।

(2) विद्यालय में केवल प्रशिक्षित एवं निर्धारित अर्हता रखने वाले अनुमोदित शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारी जिनका अनुमोदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया हो, मान्य होंगें ।

(3) विद्यालय में विभाग द्वारा निर्धारित पाठयकम ही पढाया जाये ।

(4) विद्यालय में विभागीय नियमों /आदेशों /निर्देशों एवं बेसिक शिक्षा संहिता आदि में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जायें ।

(5) विद्यालय में कार्यरत शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान , मंहगाई भत्ता आदि का भुगतान किया जाये जो परिषद के शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे है। इनका भुगतान चेक द्वारा बैंक में खाता खोलकर बैंक के माध्यम से उनके खाते में अन्तरण द्वारा किया जाये । उल्लंघन की दशा में तत्काल मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

(6) कीडा क्षेत्र एवं प्रांगण को चारो ओर से समतल कराया जाये तथा चारों ओर वृक्षारोपण कराया जायें ।

कमशः दो पर

Principal

(7) विद्यालय के छात्र /छात्राओं से निर्धारित शुल्क ही लिया जाये। समस्त शुल्कों का बैंक/पोस्ट आफिस में खाता खोलकर पासबुकें तथा पंजिकाऐं सदैव विद्यालय में सुरक्षित रखी जायें , जिससे विभागीय अधिकारियों द्वारा कभी भी देखा जा सके ।

(8) भवन में जिन कक्षों की छत लिन्टर नहीं है। उन्हें यथाशीघ्र पक्की छत में परिवर्तन कराया जाये।

(9) शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति में अद्यतन शासनादेश के तहत आरक्षण कोटे का अनुपालन अनिवार्य रुप से किया जाये।

(10) सशर्त

वर्तमान मानक के अनुसार एक प्र0 अ0 , 4 स0 अ0 अर्ह शैक्षिक /प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त तथा एक लिपिक अर्ह शैक्षिक /प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त एवं एक अनुचर अर्ह शैक्षिक योग्यता प्राप्त का अनुमोदन एक माह के अन्दर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर से कराकर अनुमोदन आदेश की प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रुप से प्रस्तुत की जाये अन्यथा प्रदत्त मान्यता की वापसी की कार्यवाही कर दी जायेगी जिसका उत्तरदायित्व आपका होगा ।

भवदीय
31/8/04
(विनोद कृष्ण)
सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
सप्तम मण्डल, गोरखपुर
31/8/04
31/08/04

प0सं0 /शिविर /मान्यता/ /2003 –2004 तददिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) शिक्षा निदेशालय, उ0 प्र0 इलाहाबाद ।
2– संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्रा0) शिक्षा निदेशालय, उ0 प्र0 इलाहाबाद ।
3– सचिव, उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद ,इलाहाबाद ।
4– संयुक्त शिक्षा निदेशक मण्डल गोरखपुर ।
5– उप शिक्षा निदेशक (अर्थ/विज्ञान/प्राइमरी) शिक्षा निदेशालय, उ0 प्र0 इलाहाबाद ।
6– रजिस्टार विभागीय परीक्षाएं, उ0 प्र0 इलाहाबाद ।
7– वैयक्तिक सहायक , शिक्षा निदेशक , बेसिक उ0प्र0 , निशातगंज लखनऊ।
8– सम्बन्धित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक को ।
9– सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को।
10– सम्बन्धित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को।
11– सम्बन्धित जनपद के उप बेसिक शिक्षा अधिकारी को।
12– सम्बन्धित जनपद के नगर शिक्षा अधिकारी को।
13– कार्यालय गार्ड फाइल हेतु ।

(विनोद कृष्ण)
सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
सप्तम मण्डल, गोरखपुर

Principal
N.S. Children Academy
Senior ... School
New ... Gkp